रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 328] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 1973/आश्विन 2, 1895
No. 328] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 1973/ASVINA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

7 SEP 1973
191 (C

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September 1973

S.O. 516(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 193E, dated the 31st March, 1973 the Central Government hereby directs that accumulations out of the provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings shall be invested in accordance with the following pattern, namely:

(i) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities—25 per cent

(ii) Post Office Time Deposits and Small Savings.—75 per cent.

The above pattern will be in force for the period from 1st October, 1973 to 31st March, 1974.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the Pattern mentioned in Paragraph 1 above.

[No. G. 27035(24)/73-PF.I/IL]
D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1973

का० आ० 516(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैरा 52 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 193 क, दिनांक 31 मार्च 1973 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भविष्य निधि अभिदायों के संचयनों, ब्याज और अन्य प्राप्तियों को बाध्यकर निर्गमों को कम कर के, निम्नलिखित नमूने के अनुसार विनिहित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) राज्य सरकार प्रतिभूतियों में और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में . .	25 प्रतिशत
(ii) डाकघरों में आवधिक जमाओं और लघु बचतों में	75 प्रतिशत

उपर्युक्त नमूना प्रथम अक्तूबर, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएं या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रमाण-पत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों) भी उप-पैरा-1 में उपवर्णित नमूने के अनुसार किए जाएंगे ।

[सं० जी० 27035 (24)/73 पी०एफ० (ii)]

डी० एम० नीम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973